(1)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

6 का - 1152 वर्ष - 2006

C 888186

TRUE COPY

D. R
Deoghar

13/12/18

जिला अवर निबंधक
सत्यमेव जयते
देवघर

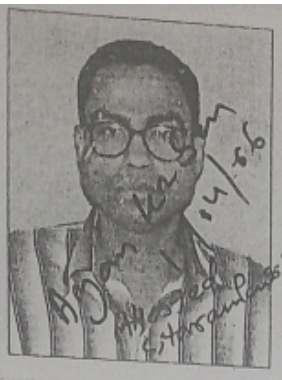

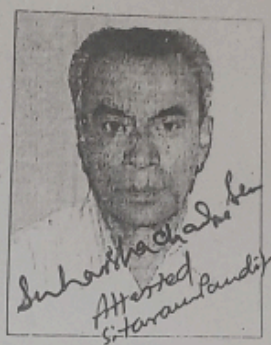

Anjan kumar Sen
10/04/06
Suharsha Chandra Sen.
10/4/06
Anindya Sen
10/04/06

बंटवारानामा दलील

प्रथम पक्ष :–1.श्री अंजनकुसेन
2.श्री अनिन्दो सेन } पिता स्वर्गीय खिरोद कुमार सेन।
जाति सुवर्ण बणिक, पेशा गैरसरकारी नौकरी, साकिनान "बंकु भीला" कुण्डु बंगला रोड मधुपुर टाउन, थाना व सबडिविजन मधुपुर, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर। पेशा नं०1 शारीरिक रुप से विकलांग एवं बेरोजगार।

द्वितीय पक्ष :–श्री सुहर्ष चन्द्र सेन पिता स्वर्गीय बंकु बिहारी सेन, जाति सुवर्ण बणिक, पेशा अवकाश प्राप्त, साकिन "बंकु भीला" कुण्डु बंगला रोड मधुपुर टाउन, थाना व सबडिविजन मधुपुर, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर।

TRUE COPY

लेख्य प्रकार :–बंटवारानामा दलील / सह पारिवारिक व्यवस्था पत्र।

सम्पत्ति की कीमत :–प्रथम पक्ष के हिस्से की कीमत मो0 1,18,500 / रूपये।
द्वितीय पक्ष के हिस्से की कीमत मो0 1,18,500 / –रूपये।

सम्पत्ति का विवरण :–निम्न अनुसूची सम्पत्ति ''क'' और ''ख'' में वर्णित है।

विदित हो कि जिला संथाल प्रगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री देवघर, हाल सबडिविजन मधुपुर, थाना मधुपुर, तालुक पाथरोल, सामील मौजा बड़ाशेखपुरा न0 272 के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन रकवा स्थानीय माप से 8 (आठ) कटठा, 14 (चौदह) धुर, मय मकानादि, अन्दर बसौड़ी महाल टाउन ''क'', अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 15, को प्रथम पक्ष श्री अंजन सेन व श्री अनिन्दो सेन के पिता खिरोद कुमार सेन व द्वितीय पक्ष श्री सुहर्ष चन्द्र सेन तथा प्रथम पक्ष के चाचा जो द्वितीय पक्ष के भाई नरनारायण सेन ने एक साथ मिलकर, दिनांक 12 / 10 / 1968 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 17, पृष्ठ संख्या 261 से 265 में निबंधित जिसकी संख्या 3357 वर्ष 1968 ईस्वी के द्वारा, देवनारायण कुण्डु पिता स्वर्गीय विष्णु नारायण कुण्डु, साकिन कुण्डु बाड़ी मधुपुर, थाना मधुपुर, जिला संथाल प्रगना, वर्तमान जिला देवघर के निवासी से, समान अंशों में हासील कर मय पुत्र पौत्रादि दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय मधुपुर में नामान्तरण वाद संख्या 73 / 1997–98 के द्वारा, दिनांक 28 / 02 / 1998 ईस्वी के आदेशानुसार नाम दर्ज करवाकर वार्षिक मालगुजारी आदाय करते हुए निर्विवाद रूप से भोग दखल करते रहे।

उपर्युक्त नरनारायण सेन के मरनोपरान्त उनके पुत्र विश्वनाथ सेन उनके अंश की सम्पत्ति के मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त प्रथम पक्ष के पिता खिरोद कुमार सेन, द्वितीय पक्ष श्री सुहर्ष चन्द्र सेन व विश्वनाथ सेन ने दिनांक 23 / 01 / 2002 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बंटवारानामा दलील संख्या 2825 वर्ष 2002 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति का आपस में बंटवारा कर लेने पर उक्त सम्पत्ति के अन्दर रकवा 2 (दो) कटठा 16.3 (सौलह दशमलव तीन) धुर मय मकानादि उपर्युक्त विश्वनाथ सेन के हिस्से में मिली तथा उपरोक्त प्रथम पक्ष के पिता

खिरोद कुमार सेन व द्वितीय पक्ष श्री सुहर्ष चन्द्र सेन के हिस्से में शेष बची हुई सम्पत्ति का रकवा 5 (पॉच) कटठा, 17.7 (सतरह दशमलव सात) धुर मय मकानादि सामिलात रूप में मिला/रहा।

उपर्युक्त खिरोद कुमार सेन के मरनोपरान्त उनके दो पुत्र प्रथम पक्ष न0 1 श्री अंजन सेन व प्रथम पक्ष न0 2 श्री अनिन्दो सेन, उक्त सम्पत्ति रकवा 5 (पॉच) कटठा, 17.7 (सतरह दशमलव सात) धुर मय मकानादि में उनके अंश के मालिक व दखलकार हुए।

इस तरह उपर्युक्त हम प्रथम पक्ष न0 1 श्री अंजन सेन व प्रथम पक्ष न0 2 श्री अनिन्दो सेन उक्त सम्पत्ति रकवा 5 (पॉच) कटठा, 17.7 (सतरह दशमलव सात) धुर मय मकानादि के अन्दर अपने अर्द्धांश के मालिक इजमाल रूप में भोगवान व दखलकार हैं तथा द्वितीय पक्ष श्री सुहर्ष चन्द्र सेन उक्त सम्पत्ति रकवा 5 (पॉच) कटठा, 17.7 (सतरह दशमलव सात) धुर मय मकानादि के अन्दर अपने अर्द्धांश के मालिक व इजमाल रूप में भोगवान व दखलकार हैं।

इधर कुछ दिनों से उपर्युक्त हम प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बीच में उक्त सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर आपस में बैमनस्य का भाव पनपने लगा जिसके निदान के लिये हम उभय पक्षों ने समझ बुझकर आपसी रजामन्दी से तथा आसपास के शुभ चिन्तकों तथा हित कुटुम्ब की राय से इस बंटवारानामा दलील द्वारा, आज तारीख उपर्युक्त हमलोग प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष अपने अपने स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकाव के उक्त सम्पत्ति का बमोजीव सामील शुदा नक्शा के मुताबिक निम्नलिखित रूप से बंटवारा कर लिये कि————————

1.अनुसूची सम्पत्ति "क" में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मार्क "ए." में दिखाया गया है प्रथम पक्ष श्री अंजन सेन व श्री अनिन्दो सेन के हिस्से में मिली।

2.अनुसूची सम्पत्ति "ख" में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में हरा रंग से रंगा अंश मार्क "बी" में दिखाया गया है द्वितीय पक्ष श्री सुहर्ष चन्द्र सेन के हिस्से में मिली।

जिला अवर निबंधक देवघर का मुहर

(5)

3.कुऑ संबंधित विवाद की समापि हेतु, कुऑ का आधा भाग प्रथम पक्ष का और शेष आधा भाग द्वितीय पक्ष का रहा, साथ ही कुऑ का उपयोग दोंनों ही पक्षकार किया करेंगे।

4.दोनो पक्षो ने अपने-अपने हिस्से को सहर्ष स्वीकार व अंगीकार किये।

5.एक पक्ष मय वारिसान, एक दुसरे पक्ष मय वारिसान के हिस्से पर कभी भी किसी तरह का दावा दावी या उज्र आपत्ति नही कर सकेंगे, अगर करेंगे तो वह सरे अदालत नाजायज व वातिल होगा।

6.दोनो पक्ष मय वारिसान अपने-अपने हिस्से की सम्पत्ति में उन्नति व विकास आदि करते हुए मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान कम से भोग, दखल दान बिकी, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने के अधिकारी होकर स्वेच्छा पुर्वक भोग दखल करते रहेंगे।

7.दोनो पक्ष मय वारिसान अपने अपने हिस्से की सम्पत्ति के बावत सरकारी सिरिस्ता में अपना-अपना नाम अलग-अलग रूप से दर्ज कराकर अपने-अपने नाम से वार्षिक मालगुजारी आदाय करते हुए रसीद हासिल किया करेगे।

8.प्रथम पक्ष न0 1श्री अंजन कुमार सेन शारीरिक रूप से विकलांग है जो अपने कनिष्ठ भाई प्रथम पक्ष न0 2 श्री अनिन्दो सेन के उर्पाजन प्रर पुर्ण रूपेण निर्भर है।

9.दोंनों पक्ष मय वारिसान में से कोई भी पक्ष मय वारिसान अगर भविष्य में अपने हिस्से की प्राप्त सम्पत्ति को हस्तान्तरण आदि करेंगे तो प्रथम प्राथमिकता अन्य पक्ष मय वारिसान को बाजार भाव की दर से रहेगा, अगर वे इसे नहीं खरीदना चाहेंगे तब किसी अन्य हिन्दु सम्प्रदाय के पास ही हस्तान्तरण आदि कर सकेंगे, किसी भी अन्य सम्प्रदाय के पास हस्तान्तरण आदि नहीं कर सकेंगे।

अतएव आज तारीख हमलोग प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष अपने स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के यह बंटवारानामा दलील लिखकर निबंधित कर दिये जो प्रमाण रहे दिनांक 10.04.2006

यह भी ज्ञात रहे कि उपर्युक्त प्रथम पक्ष न०1 अंजन कुमार सेन, उपर्युक्त प्रथम पक्ष न०2 अनिन्दो सेन की सहमति व स्वीकृति के बिना "क" तफसील सम्पत्ति के अन्दर अपने अंश को किसी तरह का हस्तान्तरण आदि नहीं कर सकेंगे।

-4-

Anjan Kr. Sen 10/04/06
Subarna Chanda 10/4/06
A. Sen 10/04/06

Anjan Kr. Sen 10/04/06
Subarna Chanda 10/4/06
A. Sen 10/04/06

अनुसूची सम्पत्ति "क" में वर्णित सम्पत्ति जो प्रथम पक्ष श्री अंजनकुमार सेन व अनिन्दो सेन के हिस्से में मिली––

थाना नं0 272, जिला देवघर, सबडिविजन मधुपुर, सबरजिष्ट्री देवघर, थाना मधुपुर, सामिल मौजा बड़ाशेखपुरा के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन रकवा 3,310 वर्गफीट (तीन हजार तीन सौ दस वर्गफीट), मय रकवा 235 वर्गफ़ीट पर बना एकताला मकानादि, अन्दर बसौड़ी महाल टाउन "क", अन्दर थोका न0 34, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 15, होल्डिंग न0 299, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मार्क "ए" में दिखाया गया है, मय कुल हक हकुक मिला जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :–श्री विश्वनाथ सेन की जमीन व मकान।
दक्षिण :–म्युनिसीपल रोड, कुण्डु बंगला रोड़।
पुरब :–द्वितीय-पक्ष श्री सुहर्ष चन्द्र सेन के हिस्से की सम्पत्ति मार्क "बी"
पश्चिम :–जे. एन. चौधरी की जमीन व मकान।

अनुसूची सम्पत्ति "ख" में वर्णित सम्पत्ति जो द्वितीय पक्ष श्री सुहर्ष चन्द्र सेन के हिस्से में मिली––

थाना नं0 272, जिला देवघर, सबडिविजन मधुपुर, सबरजिष्ट्री देवघर, थाना मधुपुर, सामिल मौजा बड़ाशेखपुरा के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन रकवा 3,310 वर्गफीट (तीन हजार तीन सौ दस वर्गफीट), मय रकवा 235 वर्गफीट पर बना एकताला मकानादि, अन्दर बसौड़ी महाल टाउन "क", अन्दर थोका न0 34, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 15, हांल्डिंग न0 299, जो संलग्न नक्शा में हरा रंग से रंगा अंश मार्क "बी" में दिखाया गया है, मय कुल हक हकुक मिला जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :–श्री विश्वनाथ सेन की जमीन व मकान।
दक्षिण :–म्युनिसीपल रोड, कुण्डु बंगला रोड।
पुरब :–संथाल प्रगना ग्रामोद्योग समिति की जमीन।
पश्चिम :–प्रथम पक्ष श्री अंजनकुमार सेन व श्री अनिन्दो सेन के हिस्से की सम्पत्ति मार्क "ए"

जिला अवर निबंधक देवघर का मुहर

(7)

Anjan Kr. Sen
10/04/06
Subhash Chandra Sen
10/4/06
Anindya Sen
10/04/06

घोषणा :–उक्त सम्पत्ति मुख्य मार्ग से 131 फीट से अधिक दुरी पर है। निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। Subhash Chandra Sen 10/4/06.

गवाहान

(1) Manik Chandra Chakraborty 10.4.2006.
Son of Late Jogesh Chandra Chakraborty
Sen's Lodge Complex
Belpara, P.O. Madhupur. P.S. Madhupur
Dt. Deoghar.

(2) Nanigopal Das. 10.04.2006.
Son of Late. Bishnu Prasad Das.
Meenabazar. Madhupur. Deoghar.

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, प्रारूप कर्ता सीताराम पंडित
डीड रायटर देवघर, दिनांक 10-04-2006
प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक फोटो जो इस दस्तावेज में लगाये गये हैं, के बॉये हाथ के अंगुलियो के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं, सीताराम पंडित
डीड रायटर देवघर, दिनांक 10-04-2006

जिला अवर निबंधक देवघर का मुहर